इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक27.03.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 1,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 1,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी जागेश्वर दयाल गुप्ता पुत्र रामस्वरूप गुप्ता निवासी कटराफते महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर मोबाइल चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, सूचना पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 442/2017 धारा 380 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 देवेन्द्र गौतम द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त प्रधुम्म गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 सोनी एवं मानीटरिंग सैल व एसपीओ श्री उदय श्याम तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 27.03.2024 को अन्तर्गत धारा 380 भादवि में मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद इटावा द्वारा 03 कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 1,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **प्रधुम्म गुप्ता पुत्र वेद प्रकाश निवासी श्यामनगर थाना फ्रैण्डस कॉलोनी जनपद इटावा।**